प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5554/2007

याचिकाकर्ता:

विनोद कुमार सिंह, पिता श्री विशाल सिंह, आयु लगभग 49 वर्ष, व्यवसाय: प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा अवर सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)।
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला जशपुर (छ.ग.)।
4. कु. कमला केरकेट्टा, आयु लगभग 44 वर्ष, प्राचार्य, मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका।)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश।

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री ए.एस. राजपूत, अधिवक्ता।

राज्य के लिए श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए श्री ए.के. प्रसाद एवं श्री एम.के. सिन्हा, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दिनांक 04.04.2008 को पारित)

1) याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.08.2007 (संलग्नक पी/7) की विधिमान्यता को आक्षेपित करता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 31 अन्य कर्मचारियों के साथ स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता का स्थानांतरण शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुदुमुरा, जिला कोरबा (छ.ग.) किया गया था।

2) संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर के पद पर पदस्थ था। उसे

हाल ही में दिनांक 29.06.2007 (संलग्नक पी/2) को वरिष्ठ प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और वह उसी स्थान पर पदस्थ रहा। तत्पश्चात याचिकाकर्ता को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुदुमुरा, जिला कोरबा (छ.ग.) स्थानांतरित करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

3) याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के संबंध में आक्षेपित स्थानांतरण आदेश इस आधार पर दोषपूर्ण है कि यह शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है और आक्षेपित आदेश उत्तरवादी क्रमांक 4 को समायोजित करने के लिए पारित किया गया है, जो मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर नगर, जिला जशपुर में प्राचार्य के रूप में कार्यरत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) याचिकाकर्ता ने शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग के आरोप के संबंध में न तो कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है और न ही कोई विशिष्ट अभिकथन किया है, सिवाय इस सामान्य कथन के कि यह स्थानांतरण आदेश राजनीतिक पक्षपात के आधार पर पारित किया गया है। इस तथ्य के संबंध में कि उत्तरवादी क्रमांक 4 जशपुर नगर में पदस्थ है, और उसके बाद उसे अन्य विद्यालयों में पदस्थ नहीं किया जा सकता था, यह तर्क इस सरल आधार पर

खारिज किए जाने योग्य है कि यह कर्मचारी का काम नहीं है कि वह उस स्थान को इंगित करे जहाँ उसे कार्य करना है। यह नियोक्ता को तय करना है कि लोक हित के साथ-साथ प्रशासनिक अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष अधिकारी/कर्मचारी को कहाँ पदस्थ किया जाना चाहिए।

5) **ई.पी. रायप्पा विरुद्ध तमिलनाडु राज्य एवं अन्य**[1] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"88.... आधुनिक राज्य की विशाल बहुआयामी गतिविधियों के साथ, कुछ ऐसे पद होने तय हैं जिनके कार्यों के पर्याप्त निर्वहन के लिए उच्च स्तर की बुद्धि और विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। सरकार के लिए ऐसे विशिष्ट पदों के लिए उपयुक्त अधिकारियों को खोजना हमेशा एक कठिन समस्या होती है। सामान्यतः बहुत से अधिकारी ऐसे नहीं होते जो ऐसे विशिष्ट पदों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों और सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित होता है और यह विकल्प और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ पद, हालांकि महत्वपूर्ण और भारी जिम्मेदारियों वाले होते हैं, उनमें व्यापक कार्यपालिक शक्तियाँ नहीं होती हैं और इसलिए अधिकारी सामान्यतः उन पदों पर स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 **1974 (4) एस.सी.सी. 3**

सरकार को प्रशासन के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभव चुनाव करना होता है। जब इस विकल्प के प्रयोग में सरकार किसी अधिकारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करती है, तो अधिकारी दुखी महसूस कर सकता है क्योंकि नया पद उसे वैसी शक्तियों का विस्तार नहीं देता जो पुराने पद पर रहते हुए उसके पास थीं। परंतु यह स्थानांतरण को मनमाना नहीं बनाता है। जब तक स्थानांतरण प्रशासन की अनिवार्यताओं के कारण किया जाता है और उच्च पद से निचले पद पर किसी कनिष्ठ को भेदभावपूर्ण वरीयता देते हुए नहीं किया जाता है, तब तक यह विधिमान्य होगा और अनुच्छेद 14 और 16 के तहत इस चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

92. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुर्भावना स्थापित करने का भार उस व्यक्ति पर बहुत अधिक होता है जो इसका आरोप लगाता है। दुर्भावना के आरोप अक्सर सिद्ध करने की तुलना में अधिक आसानी से लगाए जाते हैं, और ऐसे आरोपों की गंभीरता ही उच्च स्तर की विश्वसनीयता के प्रमाण की मांग करती है..... इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि शीर्ष प्रशासकों को अक्सर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं लेकिन जो उनके कर्तव्यों के निष्पादन में आवश्यक होते हैं। जब पूर्ण तथ्य और

आसपास की परिस्थितियाँ ज्ञात न हों, तो ये कार्य उनके लेखक की सद्भावना के प्रति गलत व्याख्या और संदेह पैदा कर सकते हैं। इसलिए न्यायालय किसी पक्ष द्वारा उसके सामने रखे गए अपूर्ण तथ्यों से संदिग्ध निष्कर्ष निकालने में धीमा होगा, विशेष रूप से तब जब आक्षेप गंभीर हों और वे ऐसे पद के धारक के विरुद्ध लगाए गए हों जिसकी प्रशासन में उच्च जिम्मेदारी है। मंत्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अयोग्य आचरण के आरोप का मूल्यांकन करने में न्यायिक दृष्टिकोण ऐसा ही है, इसलिए नहीं कि वे किसी विशेष स्थिति का आनंद लेते हैं, न ही इसलिए कि वे सामाजिक जीवन या प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च स्थान पर हैं—ये विचार न्यायिक दृष्टिकोण में पूरी तरह अप्रासंगिक हैं—अपितु इसलिए कि अन्यथा, लोकतंत्र में प्रभावी ढंग से कार्य करना कठिन हो जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) **शिल्पी बोस (श्रीमती) एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य**[2] [1991 सप (2) एस.सी.सी. 659] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

"3....यदि सक्षम प्राधिकारी ने कठिनाई से बचने के लिए किसी लोक सेवक को समायोजित करने की दृष्टि से स्थानांतरण आदेश जारी किए

2 **1991 सप्ली.(2) एस.सी.सी. 659**

हैं, तो न्यायालय द्वारा इसमें केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए क्योंकि स्थानांतरण आदेश संबंधित कर्मचारियों के अनुरोध पर पारित किए गए थे। उत्तरवादी पिछले कई वर्षों से अपने संबंधित स्थानों पर पदस्थ रहे हैं, उनके पास एक ही स्थान पर पदस्थ रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। चूंकि वे स्थानांतरणीय पदों पर हैं, इसलिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के पात्र हैं। स्थानांतरण आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे जिन्होंने किसी अनिवार्य नियम का उल्लंघन नहीं किया था, इसलिए उच्च न्यायालय के पास स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. हमारे अभिमत में, न्यायालयों को लोक हित में और प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि स्थानांतरण आदेश किसी अनिवार्य वैधानिक नियम के उल्लंघन में या दुर्भावना के आधार पर न किए गए हों। स्थानांतरणीय पद धारण करने वाले सरकारी सेवक के पास एक स्थान या दूसरे स्थान पर पदस्थ रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश उसके

किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि यदि स्थानांतरण आदेश कार्यकारी निर्देशों या आदेशों के उल्लंघन में पारित किया जाता है, तो न्यायालयों को सामान्यतः आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसके बजाय प्रभावित पक्ष को विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। यदि न्यायालय सरकार और उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दैनिक स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप करना जारी रखते हैं, तो प्रशासन में पूर्ण अराजकता हो जायेगी जो लोक हित के लिए अनुकूल नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध एस.एस. कौरव एवं अन्य**[3] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"4.....न्यायालय या अधिकरण प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों के स्थानांतरण पर विनिश्चय करने के लिए अपीलीय मंच नहीं हैं। प्रशासन के पहियों को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए और न्यायालयों या अधिकरणों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अधिकारियों को उचित स्थानों पर स्थानांतरित करके प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज में हस्तक्षेप करें। यह प्रशासन के लिए है कि वह उचित निर्णय ले और ऐसे निर्णय तब तक बने रहेंगे जब तक कि वे बिना किसी तथ्यात्मक

3 **1994 (3) एस.सी.सी. 270**

पृष्ठभूमि के आधार के या तो दुर्भावना या बाह्य विचार से दूषित न हों। इस मामले में हमने देखा है कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए, हम किसी अधिकारी को किसी विशेष स्थान पर पदस्थ करने की उपयुक्तता की जांच नहीं कर सकते।

8. **भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध जनार्दन देवनाथ एवं अन्य**[4] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

"14.... स्थानांतरण करने के उद्देश्यों के लिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या कर्मचारी द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया था या कर्मचारी का आचरण अनुपयुक्त था, जांच करने का प्रश्न अनावश्यक है और जिसकी आवश्यकता है वह संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत की घटना के बारे में समकालीन प्रतिवेदनों पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि है: और यदि, जैसा कि उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, एक विस्तृत जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना है, तो लोक हित में कर्मचारी को स्थानांतरित करने या शिष्टाचार लागू करने और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की अनिवार्यताओं का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादीगण को किसी अलग प्रभाग में स्थानांतरित किया जा सकता था, नियोक्ता के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 2004 (4) एस.सी.सी. 245

प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रशासन के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की सीमा के आधार पर विचार करने का विषय है।"

9. **मोहम्मद मसूद अहमद विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[5] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत स्थानांतरण का न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेंद्र रॉय विरुद्ध भारत संघ, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्प लिमिटेड विरुद्ध श्री भगवान, भारतीय स्टेट बैंक विरुद्ध अंजन सान्याल** के प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **विजय पाल सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य** और **ओंकार नाथ तिवारी विरुद्ध मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग** के प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त विनिश्चयों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत यह है कि स्थानांतरण का आदेश कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक हिस्सा है जिसमें विधिक न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5 2007 (8) एस.सी.सी. 150

किया जाना चाहिए, जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि या तो आदेश दुर्भावनापूर्ण है या सेवा नियम ऐसे स्थानांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, या वे प्राधिकारी जिन्होंने आदेश जारी किए थे, आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे।"

10) ऊपर उद्धृत प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सुस्थापित सिद्धांतों को देखते हुए, याचिकाकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कोई दुर्भावना स्थापित करने में विफल रहा है। याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, सिवाय इसके कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश उत्तरवादी क्रमांक 4 को समायोजित करने के लिए पारित किया गया था। **शिल्पी बोस (श्रीमती) एवं अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में सिद्धांत पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur